



दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

तात्कालिक प्रमाण-पत्र/प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि पाने/अंक-सूची/नाम परिवर्तन करने/के लिए आवेदन-पत्र
Application for obtaining Provisional Certificate/Duplicate Certificate/Duplicate Mark Sheet/Name Change

- | | |
|---|---|
| (1) तात्कालिक प्रमाण-पत्र शुल्क (उच्च) रु.100/- | (2) उच्च परीक्षा अंक सूची प्रतिलिपि रु.50/- |
| (3) प्रमाण-पत्र प्रतिलिपि शुल्क (उच्च) रु.200/- | (4) प्रमाण-पत्र प्रतिलिपि शुल्क (प्रारंभिक) रु.50/- |
| (5) नाम परिवर्तन शुल्क (उच्च) रु. 250/- | (6) नाम परिवर्तन शुल्क (प्रारंभिक) रु.50/- |

आवेदक का पूरा नाम:	हिन्दी में :	स्त्री/पुरुष	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम
	अंग्रेजी में :		
पिता का नाम :	हिन्दी में :		परीक्षा केन्द्र का नाम
	अंग्रेजी में : :		
पत्र-व्यवहार का पूरा पता : (अंग्रेजी में)			क्रम-संख्या
डाक-घर (P.O.) :	जिला (Dist.) :		महीना
Phone :	PIN CODE :		साल
मुकाम :			
तारीख :			
			आवेदक का हस्ताक्षर

दफ्तर की कार्रवाई के लिए

व्यवस्थापक

सचिव

आवेदक निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें -

- पत्र-व्यवहार का सही पता और परीक्षा-उत्तीर्णता का सही विवरण मिलने पर ही तात्कालिक प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि भेजी जाएगी।
'विशारद' या 'प्रवीण' के उपाधि-पत्र की प्रतिलिपि चाहनेवालों को इस आवेदन-पत्र के साथ प्रतिलिपि की मांग का कारण बताते हुए, परीक्षा सचिव के नाम पर गेज़ेटेड अफसर अथवा सरकारी अथवा गैर-सरकारी स्कूल या कॉलेज के प्रधान के साक्ष्यांकन (Attestation) के साथ एक अलग पत्र भेजना चाहिए। पत्र में मूल प्रमाण-पत्र की प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करना अत्यंत ज़रूरी है।
- नाम परिवर्तन चाहनेवालों को इस आवेदन-पत्र के साथ नाम-परिवर्तन का कारण बताते हुए एक अलग पत्र परीक्षा-सचिव के नाम पर गेज़ेटेड अफसर अथवा सरकारी या गैर-सरकारी स्कूल या कॉलेज के प्रधान के साक्ष्यांकन (Attestation) के साथ भेजना चाहिए। नाम-परिवर्तन के साथ नोटरी पब्लिक का अफिडविट प्रस्तुत करना चाहिए।
- शुल्क हमेशा Bank D.D. के रूप में ही भेजें। उक्त शुल्क के साथ अन्य शुल्क मिलाकर न भेजें। शुल्क एक बार जमा होने पर न किसी हालत में लौटाया जाएगा और न किसी दूसरी खाते में अड्जस्ट किया जाएगा।
- कोई भी आवेदन-पत्र या तत्संबंधी शुल्क केवल तीन महीने तक ही विचाराधीन रहेगा। उसके बाद नये सिरे से आवेदन-पत्र शुल्क के साथ देना होगा।
- आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से एक महीने तक प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि आवेदक को भेजी जाएगी। तब तक इस संबंध में पत्र-व्यवहार का उत्तर नहीं दिया जाएगा।
- पीछे दिये प्रमाण-पत्र को भरकर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर और मुहर के साथ भेजने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जाएगा।

प्रधान सचिव

(P.T.O.)

NAME CHANGE

The Examination Secretary
D.B. Hindi Prachar Sabha,
Madras - 17.

Sri S/o / D/o

..... born on, native place

residing at

shall henceforth be known as

.....

Signature of Attesting Officer

Place :

Date :

Designation with Seal

LOSS OF CERTIFICATE

This is to Certify that the original certificate in

..... bearing Register No.

Year issued to Sri

S/o. / D/o. born on

native place residing at

..... is reported to have been lost
beyond any chance of recovery.

The certificate was lost during on Date :

Signature of Attesting Officer

Place :

Date :

Designation with Seal

Note : The Certificate should be attested by any one of the following only.

1. Gazetted Officer.
2. School Head Master.
3. College Principal.